कार्यालय नगर परिषद फारबिसगंज

पत्रांक.....

प्रेषक :

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, फारबिसगंज।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा, शाखा
समाजिक प्रक्षेत्र –1
वीरचन्द पटेल मार्ग
पटना– 01

फारबिसगंज, दिनांक.....

विषयः – अंकेक्षण, प्रतिवेदन सं0 159/09–10 का अनुपालन प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि फारबिसगंज नगरपरिषद के लेखा वर्ष 2007–02 से 2008–09 तक का किया गया अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 159/09–10 का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जाता है।

कृपया प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,फारबिसगंज

ज्ञापांक 02 दिनांक 01.01.2019

प्रतिलिपि – सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,फारबिसगंज

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 159/09–10 का अनुपालन प्रतिवेदन

निकाय का नाम – नगरपरिषद फारबिसगंज, अंकेक्षित अवधि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
1	1	प्रस्तावना			
2	2	प्रशासन			
3	3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र			
4	4	आन्तरिक लेखा परीक्षा	भविष्य में अनुसरण किया जायगा		
5	5	वित्त	वित्तीय स्थिति सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाएगा।		
6	6	समाधान विवरणी	1. वित्तीय वर्ष 2012–13 तक लेखा का अंकेक्षण हो गया है। पूर्व के लेखा का समाधान विवरणी के साथ अंकेक्षण हुआ है। 2. बालिका समृद्धि योजना के अनुदान व्यय वापस करने की कार्रवाई कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। 3. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तीन खाता में से दो खाता बंद कर दिया गया है। मात्र एक खाता संचालित है जिसे विगत अंकेक्षण में दिखाया गया है। 4. भवविष्य में अनियमित लेखा संधारण को नियमित कर संधारित किया जाएगा एवं किया जाता है। 5. बैंक समाधान विवरणी में रोकड़पाल के हाथ में 328381/– रू0 को वसूल कर लिया गया है। परा 16 में अनुपालन प्रतिवेदन अंकित है। 6. अधिक निकासी 10964 + 3000 = 13964/– रू0 नगरपरिशद खाता में जमा उकत रकम विगत अंकेक्षण में दिख दिया गया है।		
	7	अंकेक्षण की मुख्य उपलविधा	संबंधित पारा में अनुपालन अंकित है।		
	7 (अ)	रोकड़ बही	रोकड़ बही में प्रतिदिन के आय–व्यय को मासिक, त्रैमासिक, छमाही, नौ माह तथा वार्षिक आय–व्यय विवरणी वार्षिक लेखा बही में तैयार किया गया था तथा किया जाता है।पी0एल0 खाता का सत्यापन प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात किया जाता है। तासिक सत्यापन के लिये अनुरोध किया जाएगा।		
	8	बजट	बजट तैयार करने के लिये बोर्ड से स्वीकृत करा कर सरकार को भेजने तथा संतुलित बजट तैयार करने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	9	अनुदान	1. सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतिवर्श सरकार को एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जाता रहा है। वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग के माध्यचम से महालेखाकार बिहार पटना को भेजा गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा। 2. क्रमांक 1 से 6 तक अव्यवहृत अनुदान की राषि व्यय कर या सरकारी खाता में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। शेष अनुदान उपयोग विगत अंकेक्षण दल को दिखाया गया है। 3. डी0पी0आर0 निर्माण हेतु प्राप्त 25000/– रू0 से डी0पी0आर0 तैयार नहीं हो रहा था। क्योकि समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम डी0पी0आर0 बनाना था। इसलिये एजेन्सी को 25000/–रू0 का भुगतान किया गया। सरकार के निर्देशानुसार यह राशि नगरपरिषद को प्राप्त होगी। 4. प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं समेकित विकास योजना से किया गया विचलन क्रमशः 2.00 एवं 2.00 लाख रू0 कुल 4.00 लाख रू0 उकत खाता में जमा कर लेखा परीक्षा को आवगत कराया जायगा। 5. बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के लिये प्राप्त राशि आकलन के आधार पर नहीं प्राप्त थी। इसलिये व्यय में मामूली 4731 की वृद्धि हुई है जो स्वभाविक है।		
			6. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लेखा पंजी , बैंक पासबुक तथा अनुदान पंजी में अन्तर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	10	अतिरक्त मुद्रांक	सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना के पत्रांक 1569 दिनांक 18.06.08 द्वारा त्रैमासान्त जून 07 से मार्च 08 तक की अवधि का मो0 919250/–रू0 प्राप्त था। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की स्वीकृत राशि 1712254/– रू0 का व्यय वेतन भत्ता मद में किया गया है। प्रथम प्राथमिकता वेतन भत्ता का भुगतान है फिर भी भविष्य में विकास योजनाओं में व्यय की व्यवस्था की जाएगी। अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी का संधारण किया जायगा।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	11	शिक्षा सेस और स्वास्थ्य सेस की राशि सरकार के खाते में जमा नहीं।	शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस की राशि जमा करने के लिये न0वि0 आ0वि0 से जमा शीर्ष की मांग की गई है। परन्तु जमा शीर्ष की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। प्राप्त होते ही जमा करने की कारवाई की जायगी।		
	12	पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार राशि जमा	श्री गंगा प्रसाद दास एवं श्री शंकर झा द्वारा कुल मो 4869/– रू0 का जमा का प्रमाण विगत अंकेक्षण दल को दिखाया गया है।		
	13	अंकेक्षण के दौरान जमा राशि	श्री गंगा प्रसाद दास एवं श्री शंकर झा द्वारा जमा राशि मो0 6761/– रू0 विगत अंकेक्षण में दिखा दिया गया है।		
	14	(क) कम जमा नहीं जमा	कुल वसूल की राशि 57063.30 में से मो0 48862.70 वसूल कर लिया गया है। तथा एक व्यक्ति श्री सुवेश पासवान पर 8200/– रू0 बकाया शेष है। जिसे वसूल कर समयोजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
		(ख) श्री उत्पल कुमार दे द्वारा राशि जमा नहीं।	श्री उत्पल कुमार दे पूर्व खंजाची द्वारा विविध रसीद संख्या 943 दिनांक 21.06.10 से मो0 25380/–रू0 जमा किया गया है। जिसे विगत अंकेक्षण दल को दिखाया गया है।		
		(ग) रोकड़पाल द्वारा बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं।	रोकड़ पाल द्वारा विविध रसीद संख्या 5818 दिनांक 14.08.13 से 250000/–रू0 जमा किया गया । जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	15	चेक की राशि जमा नहीं	1. एन0आर0 सं0 2569 दिनांक 06.12.18 से 1890/– रू0 जमा		
			2. चक संख्या 0644873 दिनांक 05.11.07 रूपया 1890/– चलान सं0 39 दिनांक 30.11.07 को जमा। जो कैशियर कैश बुक के पृस0 38 पर दर्ज है। इस चेक की राशि 3780/– के बदले मात्र 1890/– रू0 है। साक्ष्य के रूप में एच रसीद सं0 7840 की छायाप्रति संलग्न है।		
			3. चेक सं0 027351 दिनांक 18.07.07 रूपया 551.40/– चलान सं0 31 दिनांक 26.09.07 को जमा है। जो कैशियर कैश बुक के पृस0 29 पर दर्ज है। सभी चेक एवं जमा पर अंकेक्षण दल को पूर्व में दिखा दिया गया है।		
	16	वसूली की राशि का सीधा विनियोजन मो0 736881.80रू0 तथा रोकड़पाल के हाथ में मो0 367791/– शेष	1. रोकडपाल के हाथ में शेष राशि मो0 367791/– रू0 विविध रसीद सं0 940 दिनांक 21.06.11 से मो0 39410/– कुल 367791/– रू0 जमा किया गया है। जिसे विगत अंकेक्षण में दिखा दिया गया है।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
			2. वसूली की राशि 736881.80/– को सीधा खर्च करने की आपत्ति की गई है। तत्कालीन खजांची श्री उत्पल कुमार दे अगस्त 2009 में सेवा निवृत होने वाले थे। इसलिये उन्हें 01.04.2009 से रोकड़पाल के कार्य से हटा कर अन्य कार्य में दिया गया। उनके पास सीधा खर्च का अभिश्रव था जिसे समायोजित करना आवश्यक था। उस समय तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी श्री इन्देदेव राम का दिनांक 08.03.09 को स्थानान्तरण हो गया । समयाभाव के कारण उन्होनें सभी अभिश्रवों पर मुख्य पार्षद जो कार्यपालक प्रधान है से अनुमोदन प्राप्त कर सीधा खर्च का समायेाजन किये तथा सभी वसूली की राशि को लेखापाल पंजी में सुधारण किया गया है। उनके स्थानान्तरण के बाद दिनांक 09.03.09 को श्री अजय ठाकुर, प्रा0वि0 पदा0 अपने कार्य के अतिरिक्त कार्यपालक पदाध्किारी के प्रभार में आये एवं दिनांक 22.07.09 तक प्रभार में रहें। दिनांक 23.07.09 को श्री सदानन्द जमादार, उपसमाहर्ता भूमि सुधार अपने कार्य के अतिरक्त कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में आये। पदाधिकारियों का जल्दी–जल्दी स्थानान्तरण होने के कारण भी लेखा कार्यो में प्रतिक्रियात्मक भूल हुई, जो जॉच के बाद सरकार के पत्रांक ..... दिनांक..... से आपत्ति कंडिका विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।		
			यह तथ्य सही है की सीधा खर्च अनियमित है। परन्तु नकर निकाय जनप्रतिनिधि की संस्था होने के कारण विधि के साथ–साथ परम्परा का भी निर्वाह करना पड़ता है। क्योंकि अर्द्व सरकारी संस्था में परम्परा की उपेक्षा नहीं हो पाती है। अभिश्रवों के जॉच के क्रम में पाई गई त्रुटियों को सुधार कर भंडारपंजी एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा ताकि इस प्रकार की असंगति का पुनावृति नहीं हो। अंकेक्षण आपत्ति में दिये गये निर्देश एवं सुझाव पर अमल करते हुये इस भामले को सशक्त स्थायी समिति की दिनांक..... की बैठक में प्रस्ताव लाया गया है। सशक्त स्थायी समिति से सभी अश्रिवों द्वारा किये गये सीधा खर्च को भविष्य की चेतावनी के साथ विनियमित करने का निर्णय लेते हुये आपत्ति को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। सशक्त स्थायी समिति के निर्णय एवं अनुशंसा की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	17	बस पड़ाव की बन्दोबस्ती	बस पड़ाव की बन्दोबस्ती वर्ष 2008.09 के लिये श्री मनोहर यादव के साथ मो0 1566200/–रू0 में की गई थी। बस पड़ाव का स्थल उपयुक्न नहीं होने के कारण सड़क के किनारे शुल्क की वसुल बन्दोबस्तधारी द्वारा की जा रही थी। परन्तु अचानक तत्कालीन जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा कुछ शिकायत पर वसूली को बन्द करा दिया गया। फलस्वरूप बन्दोबस्तधारी को हानि हुई। उन्होनें अपनी आपत्ति दत कर हानि की भरपाई का अनुरोध किया तथा बकाया राशि मो0 343455/–रू0 जमा नहीं किया। यह मामला विचारधीन चल रहा है। मामले का निपटारा कराकर लेखा परीक्षा कार्यालय को शिघ्र अवगत कराया जाएगा।		
	18	(क) फैन्सी मार्केट की बन्दोबस्ती	वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये श्री कमरूद्दीन केनाम की गई बन्दोवस्ती की बकाया शेष राशि 26000/– की वसूली की कारवाई की जा रही है। शीघ्र वसूली कराकर जमा राशि अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
		(ख) साईकिल निबंधन नहीं (वर्ष 2008–09)	साईकिल निबंधन की बन्दोवस्ती के डाक में कोई भाग नही लिया। प्रचार–प्रसार कराया गया। विभागीय वसूली की कारवाई भी की गई। परन्तु वसूली की आय से व्यय अधिक का अनुमान किया गया। कारण कि इस कार्य में कम से कम दो कर्मचारी लगाये जाते। उनका वेतन कम से कम एक लाख रूपया होता तथा आय 39000/– रू0 कम या अधिक होती। ऐसी सिथति में विभागयी वसूली की कारवाई को स्थगित करना पड़ा।		
	19	मकान कर	मकान कर की वसूली की प्रतिशत में वृद्धि का प्रयास जारी है। इस पर विशेष ध्यान दिया जायगा।		
	20	पेशाकर	भविष्य के लिये स्वीकार किया गया। पेशाकर की वसूली सरकार के निर्देश पर बन्द कर दिया गया है।		
	21	सरकारी भवनों पर बकाये कर की वसूली	सरकारी भवनों पर बकाय की वसूली का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति में थोड़ा सुधार है।		
	22	खतरनाक एवं भयावह व्यपार	बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के अनुसार ट्रेड लाइसेंस की वसूली का प्रावधान किया गया है। इस मद को भी इसी धारा में शामिल कर कारवाई की जा रही है।		
	23	भवन निर्माण पंजी	भवन निर्माण पंजी का संधारण किया गया था। परन्तु सुझाव पर विशेष्ज्ञ ध्यान दिया जायगा।		
	24	दुकान किराया	दुकान किराया वसूली का प्रयास किया जा रहा है तथा उचित तरीके से संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	25	दुकानों/सेरातों पर भारी बकाया की राशि	प्रयास किया जा रहा है। स्थिति में सुधार भी हुआ है।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	26	जूट से प्राप्त राजस्व	वसूली का प्रयास किया जा रहा है। तथा सुघाव का पालन किया जायगा।		
	27	मोबाईल टावरों से प्राप्त होने वाले करो का बकाया	मोबाईल टावरों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया गया है। तथा 31.03.13 तक बकाया 840000/– रू0 सहित लगभग 12 लाख रूपया की वसूली की गई है। अधिस्थापित स्थानों पर टैक्स लगाने की कारवाई की जा रही है। मोबाईल टावर नियमावली 2011 के प्रावधान के अनुसार कारवाई की जा रही है।		
	28	(क) अप्रस्तुत (एच) रसीद	एच0 रसीद संख्या 7601–7800, 8101–8700एवं 1010–10200 श्री चन्द्रनाथ चंदन को निर्गत थी जिसे अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। एवं एक रसीद वही 8601–8700 श्री गजेन्द्र सिंह के नाम निर्गत थी जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कया जायगा।		
		(ख) अप्रस्तु रसीद बही	विविध रसीद सं0 101–200, 201–400, 401–500, 501–600 एव 2001–2100 कुल 5 रसीद बही विगत अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई।		
		(ग) अप्रस्तुत टिनटिकट एवं रसीद बहिया	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 141/08–09 केपरा संच 23 अंकेक्षण प्रतवेदन संच 159/09–10 केपैरा 28(ग) में अग्रसरित अप्रस्तुत रसीद बहियों विविधरसीद बही 11 में से 7 विविध रसीद बही तथा एच रसीद बहियों में 34 रसीद बहियों में से दो रसीद बही विगत अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। तीन एच रसीद बही क्र0 13201–13400 कुल 3 एच रसीद अररिया नगरपरिषद का याचना पर दिखाया गया है। शेष 4 विविध रसीद बही एवं 29 एच रसीद अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायगा।		
	29	कमीशन पर कर संग्राहकों की नियुक्ति	कर वसूली की दयनीय स्थिति को देखते हुये नगरपरिषद की आय में वृद्धि के लिये 5 कर संग्राहकों को 7 प्रतिशत कमीशनपर नियुक्ति की गई थी। ऑलाकि नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षमें नगर निकाय पदाधिकारियों की बैठक में 4 प्रतिशत कमीशन का निर्देश दिया गया था। 4 प्रतिशत कमीशन पटना नगर निकगम एवं अन्य नगर गिमों, राज्य की नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिये एक समान दर था। जिसे व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है। जब पटना नगर निगम, अन्य निगर निगामें, नगरपरिशदों तथानगर पंचायतों को चार श्रेण्णी में विभक्त कर सहायक अनुदान या अन्य सुविधायें दी जाती है। साथ ही कर निर्धारण की विभिन्न दर तय किया जाता है तो धनी एवं गरीब या घनी आबादी वाला क्षेत्र का आकलन कर कमीषन का दर तय करना चाहिये। इन्ही सब तथ्यों तथा क्षेत्र की बनावट करदातओं द्वार कर भुगतान की क्षमता पर विचार करते हुये 4 प्रतिशत पर नियुक्ति की थी। 7 प्रतिशत की नियुक्ति के प्रस्ताव र अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुरोध किया गया है।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	30	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना			
		1. आय–व्यय	वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008.09 में व्यय की गई राशि मो0 153231.00 से संबंधित योजना पंजी एवं अभिलेख अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
		2. सबसीडी मद में व्यय	सबसीडी मद में बैंक को गई सबसीडी की राशि उन्हीं लाभाथियोंके लिये दी जाती है जो बी0पी0एल0 परिवार के होते हे। बी0पी0एल0 सव्रेक्षण सूची से बी0पी0एल0 अभ्यर्थियों की पहचान की जाती है। संबंधित लाभार्थियों का आवेदन पूर्ण जॉचोपरान्त बैंक को भेजा जाता है। बैंक लाभार्थी की स्थिति को जॉच परख कर ऋण के लिये उपर्युक्त समझने के उपरांत उनका चयन करते है। जिनका यचन करते है उनका सूची तैयार कर भेजते है एवं सबसीडी की मांग करते हे। वैसी स्थिति में दी गई सबसीडी वापस नहीं होती है। जिन लाभार्थी को बैंक ऋण एवं सबसीडी देती है उनसे ऋण वसूली की जिम्मेवारी बैंक की ही होती है। बैंक द्वारा नगरपरिषद से सहयोग मागने पर उन्हे हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी बैंक से ऋण वसूली एवं अन्य वांछित प्रक्रिया एव कागजात को अगले अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।		
		3. प्रशिक्षण मद में व्यय	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की मार्ग दर्शिका के अनुसार प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं द्वारा सभी कागजात उपलब्ध कराया गया था। 300 घंटा प्रशक्षण देने का प्रमाण भी उपलब्ध करया गया था। उनके द्वारा उपलब्ध कराग्र गये कागजात के आधार पर ही भुगतान किया गया है। मार्ग दर्शिका में 600/– रू का कीट्स देने का निर्देश प्राप्त नहीं हे। सभी कागजात एवं अभिलेख अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
		4. माइक्रो इन्टर प्राइजेज का निर्माण	माइक्रो इन्टर प्राइजेज निर्माण के अन्तर्गत किये गये व्यय से संबंधित अभिलेख विगत अंकेक्षण में दिखाया गया है। क्योंकि योजना की समाप्ति वर्ष 2011–12 में हुई हे।		
		5. विचलन	प्रशासनिक भवन निर्माण के लिये स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना से किये गये 2.00 लाख विचलन शीघ्र पूरा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	31	समेकित विकास योजना	समेकित विकास योजना से संबंधित अभिलेख विगत अंकेक्षण में दिखाया गया है तथा अगले अंकेक्षण में भी दिखाया जायगा। विचलन की राशि 2.00 लाख रूपया शीघ्र पूरा कर दिया जायगा।		
	32	द्वादश वित्त आयोग	1.द्वादश वित्त आयोग से संबंधित कागजात एवं अभिलेख तथा अनुपालन अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
			2. सभी 20 योजनायें पूरी हो चुकी है।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
			3. आय कर एवं विक्री कर की राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। मात्र रायल्अी की राशि जमा करने की कारवाई की जा रही है।		
			4. आवंटित राशि से अधिक की ली गई योजनाओं की राशि का व्यय को 2009.–10 में प्राप्त आवंटन से समायोजित किया गया है जिसे विगत अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।		
	33	नाला निर्माण	वर्ष 2008–09 में ली गई कुल 31 योजनाये पूर्ण कर ली गई है। योजनाओं के विपत्रों से काटी गई आयकर तथा विक्री कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। रायल्अी की राशि जमा करने की कारवाई की जा रही है।		
	34	सड़क निर्माण	व्रर्ष 2008–09 में ली गई कुल 17 योजनायें पूरी कर ली गई। आयकर तथा विक्री कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। रायल्अी की राशि जमा करने की कारवाई की जा रही है। वर्ष 2007–08 की योजनायें भी पूरी कर ली गई है।		
	35	(क) राष्ट्रीय गंदी विकाय कार्य{म	इस योजना से संबंधित योजना विवरणी अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
		(ख) गंदी बस्ती आवास योजना में अधिक योजना लेना	आवास निर्माण के लिये 11 आवास निम्रण की योजना ली गई थी। प्रत्येक आवास निर्माण के लिये निर्धारित राशि 33800+2500 = 36300 रू0 के अनुसार आवास का निर्माण कराया गया। आवास निर्माण की येाजना पूरी हो चुकी हैं योजना से संबंधित अभिलेख इत्यादि विगत अंकेक्षण में दिखाया गया है।		
	36	विक्री कर की कटौति निर्धारित दर पर नहीं किया जाना	कार्य योजनाओं के विभागीय कार्यो पर विक्री विभाग के परिपत्र के आधार पर 2 प्रतिशत विक्री कर काटी जाती थी। परन्तु वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, फारबिसगंज अंचल फारबिसगंज का पत्रांक 217 दिनांक 21.09.07 के निदेशानुसार विहत दर 12.5 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत की दर से विक्री कर की कटौती की जा रही है। चूँकि संबंधित विभाग द्वक्षरा समय पर निर्द्रश नहीं देने से एवं सरकारी निर्देष की जानकारी के अभाव में कठिनाई है। कम विक्री कर कटौती की भूल को सुधार लिय गया है।		
	37	एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	समेकित अल्प लागत शोचालय निर्माण का बायोर्मट्रीक सर्वेक्षण तथा डी0पी0आर0 तैयार करने के लिये सरयू बाबू इंजिनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट को दिनांक 03.10.08 से कार्योदेश दिया गया था। डी0पी0आर0 तेयार कराने में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देष एवं सुझाव के कारण विलम्ब हुआ। अस्तु दिनांक 05.10.2010 को कुल 33 निकायों का डी0पी0आर0 स्वीकृत हुआ। परन्तु सरकार से इस मद में अबतक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। सभी कागजात एवं कृत कार्रवाई अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		

क्रं0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	38	ट्रेक्टर खरीद	मे0 सौरभ ट्रैक्टर, फारबिसगंज को पत्रांक 66 दिनांक 05.02.08 से पूर्व के दर पर ट्रैक्टर एवं टेलर आपूर्ति का ओदेश दिया गया था। चूँकि मे0 सौरभ ट्रैक्टर स्थानीय विक्रेता थे इसलिये उन्से एकरारनामा नहीं कराया जा सका। उन्होने जिस एस्पेसीफिकेशन में पूर्व का ट्रक्टर आपूर्ति की थी उसी एस्पेसीफिकेशन में इस ट्रैक्टर एवं टेलर की आपूर्ति की है। मे0 सौरभ ट्रक्टर के विपत्र पर बी0एस0टी0 सं0 – एफ0जी0 87 – (आर0) एवं सी0एस0टी0 सं0 एफ0जी0 0813(सी0) मुर्दित है। यह स्पष्ट है कि उन्हे वेट का निबंधन है। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वैट सहित ट्रैक्टर एवं टेलर का मॉडल दिया था उसी के अनुसार उन्हे क्रमशः 267200/– एवं 79000/–रूच भुगतान हुआ है। उनके द्वारा वैट की राशि जमा करने का प्रमाण–पत्र लेकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा। जहॉ तक आपूर्ति सामग्री पर आयकर काटने का प्रश्न है तो आयकर अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत हायकर की कटौती होगी इसकी जानकारी कार्यालय को नहीं है। इस संबंध में आयकर के अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होने बताया कि आपूर्ति सामग्री जो खरीद की संज्ञा में आति है पर आयकर नहीं काटा जाता है। सभी कागजात एवं अभिलेख अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	39	ट्रेक्टर भाड़ा का भुगतान	सफाई संसाधन होते हुये भी विशेष सफई अभियन यथा, स्वतंत्रता दिवस, गॉधी जयन्ती, महावीरी शोभा यात्रा, दूर्गापूजा, दिवाली, छठ, ईद एवं बकरीद तथा सरकार द्वारा जारी निर्देष के आलोक में सुफाई के लिये ट्रेक्टर भाड़ा पर लिया जाता है। क्योंकि स्वास्थ्य, सफाई एवं जनसुविधा मुख्य जिम्मवारी नगरपरिषद की है। चूँकि सफाई का कार्य महत्वपूर्ण होते हुये भी ट्रैक्टर मालीक कूड़ा–कचड़ा के निष्पादन के लिये अपनी गाड़ी नहीं देना चाहते है। फिर भी सरकारी निर्देश एवं कार्य की महत्वता को देखते हुये उनसे बाजार दर पर भुगतान करने की बात स्वीकार कर गाड़ी भाड़ा पर लिया जाता है एवं उन्हे बाजार दर के अनुसार भुगतान कर दिया जाता है। संबंधित संचिका में भाड़ा पर ट्रैक्टर लेने का उद्देश्य तथा समय पर सशक्त स्थायी समिति के निर्णय भी उपलब्ध है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा।		
	40	डिजल खरीद	डिजल खरीद एवं उपयोग से संबंधित लॉग बुक संधारित है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगां		

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
	41	दैनिक मजदूरी पर भुगतान	नगर परिषद के सभी कर्मियों सहित सफाई कर्मियों की संख्या निरन्तरण कमी होने तथा सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश परिपत्र सं0 3939 दिनांक 20.11.99 से नियुक्ति पर रोक लगने के कारण नगरपरिषद का प्राथमिक कर्तब्य शहर के स्वास्थ्य एवं सफाई का ध्यान रखते हुये समय–समय पर दैनिक मजदूर रखकर सफाई कराने की बाध्यता थी। जिसे किसी भी परिस्थिति मे उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अंकेक्षण अवधि में सफाई कर्मियों के स्वीकृत बल 88 के विरूद्ध सफाई कर्मी कार्यरत थे। यानि कि 58 पद खाली था। यह विचारणीय है कि इतनी कम संख्या में बिना दैनिक मजदूर रखने के बिना सफाई कार्य संभवन नहीं था एवं दैनिक मजदूर रखने के अलावे कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तत्समय नगरपरिषद अपना पक्ष तत्कालीन अंकेक्षण दल के समक्ष रखा भी था। जिसका जिक्र अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया है।		
	42	अग्रिम	अग्रिम के विरूद्ध वसूली/समयोजन को विगत अंकक्षण में दिखाया गया है।		
	43	कर्मचारियों की स्थिति	कर्मचारियों की कमी तथा सरकार द्वारा 20.11.99 से नियुक्ति पर रोक लगाने के कारण नगरपरिशद के कार्य संचालन में बाधा आती है एवं मजबूरी में दैनिक कर्मी/संविदा कर्मी रख कर कार्यो का निष्पादन किया जाता है।		
	44				
	45				
	46				